



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2011/वैशाख 1, 1933

No. 663]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2011/VAISAKHA 1, 1933

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

शुद्धि-पत्र

CORRIGENDUM

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2011

New Delhi, the 21st April, 2011

Notification No. 20/2011-Income-tax

अधिसूचना सं. 20/2011-आय-कर

S.O. 779(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, (Central Board of Direct Taxes) number 80/2010, dated the 19th October, 2010 to be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), in paragraph 1 for “annuity plan of the ICICI Prudential Life Insurance Company Limited”, read “annuity plan of the TATA AIG Life Insurance Company”.

का.आ. 779(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना सं. 80/2010, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 में 'आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक योजना', के स्थान पर 'टाटा ए आई जी लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी की वार्षिक योजना' पढ़ा जाए।

[फा. सं. 178/4/2009-आ.क.नि.-1]

[F. No. 178/4/2009-ITA-I]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-1)

RAMAN CHOPRA, Director (ITA-I)